

BENCH No. - 11

अनुमण्डल दण्डाधिकारी का न्यायालय, धालभूम, जमशेदपुर।



मिस केस संख्या- 459 /2019

धारा-107 दं0प्र0सं0

गुरुपद्मी गौराई

-बनाग-

गोपाल दास एवं अन्य-2

आदेश
<p>अभिलेख आज राष्ट्रीय लोक अदालत में Virtual Mode में उपस्थापित किया गया है।</p> <p>अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है, कि प्रस्तुत वाद में दोनों/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध निर्गत नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त/अप्राप्त है। इस वाद की कार्यवाही आरंभ होने के उपरान्त छह महीने से अधिक समय बीत चुका है। धारा-107 दं0प्र0सं0 की कार्रवाई की वैधानिक अवधि मात्र छह माह का होता है। पुनः थाना अथवा अन्य किसी श्रोत्र से शांति भंग होने की आशंका की कोई सूचना/प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।</p> <p>अतः विचारोपरन्त वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। यदि पक्षकार के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट निर्गत है, तो उसे वापस लिया जाता है।</p> <p> 10/17/19 <u>Member</u></p> <p> 10/17/19 <u>Member</u></p>